



राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर



क्रमांक:—स. 24(4)(2)स्था/च.श्रे./अभि/2026/

दिनांक :-

अभियोजन विभाग में चयनित/आवंटित
अभ्यर्थियों के जिला/कार्यालय आवंटन के सम्बन्ध में

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(1)प्र.सु./अनु.-3/2024 जयपुर दिनांक 08.07.2026 एवं परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा निर्देशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा-2024 से चयनित इस विभाग को आवंटित 571 (NON-TSP) अभ्यर्थियों तथा 36 (TSP) अभ्यर्थियों को जिलो का आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जानी है।

अतः प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(1)प्र.सु./अनु.-3/2024 जयपुर दिनांक 08.07.2026 के द्वारा विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों के Counseling का कार्य दिनांक 10.08.2026 से दिनांक 13.08.2026 तक **राजकीय सामुदायिक केन्द्र, गांधी नगर क्लब, गांधीनगर, जयपुर** में किया जाना है। जिसके लिए Counseling का कार्यक्रम निम्नानुसार है—

क्र. सं.	काउंसलिंग की दिनांक	मैरिट संख्या	विशेष विवरण
1.	10.08.2026 (10:00 AM TO 1:30 PM)	दिव्यांगजन महिला/पुरुष, विधवा, परित्यक्ता 45096, 70852, 90127, 229372, 242708, 284420, 562576, 325417, 350014, 501302, 24954, 28054, 28785, 46574, 62878, 193326, 195727, 200503, 204438, 211359, 238844, 256642 (22 candidates) महिला (एकल/विवाहित/अविवाहित महिला) 2928,3561,5688,6084,6474,7510,7959,9370, 9486,9814,10675,10825,11124,11397,11456, 11542,11774,13046,13587,13679,13831, 13928,14217,14317,14548,14599,14841, 14845,14948,15034,15200,15326,15915, 15936,16040,16390,16863,16991,17417, 17505,17712,17741,17791,17816,17894, 17941,18019,18039,44563,44685,46038, 46144,46231,46320,46377,46575,46989, 47058 (58 candidates)	सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला (अविवाहित महिला),
2.	10.08.2026 (02:00 PM TO 5:30 PM)	महिला (एकल/विवाहित/अविवाहित महिला) 47104,47314,47428,47547,47592,48016, 48326,48656,49023,49036,49125,49374, 49666,49694,49721,49795,49813,51006, 51084,51389,51461,52073,52825,53350, 55277,55306,55344,55407,55487,55534, 55796,55886,56023,56758,56855,57169, 59958,61477,63329,63384,65523,66666, 68912,69416,69985,70500,70581,70744, 71061,71240,71670,71963,73216,73352, 73489,73589,77413,79903,81060,83070, 91704,91868,93333,97542,98730 (65 candidates)	
3.	11.08.2026 (10:00 AM TO 1:30 PM)	NON-TSP CANDIDATE MERIT NO. 564 TO 3378 (80 candidates)	वरियता अनुसार
4.	11.08.2026	NON-TSP CANDIDATE MERIT NO. 3383 TO	वरियता अनुसार



	(02:00 PM TO 5:30 PM)	12279 (70 candidates)	
5.	12.08.2026 (10:00 AM TO 1:30 PM)	NON-TSP CANDIDATE MERIT NO. 13353 TO 15688 (80 candidates)	वरियता अनुसार
6.	12.08.2026 (02:00 PM TO 5:30 PM)	NON-TSP CANDIDATE MERIT NO. 15695 TO 20610 (70 candidates)	वरियता अनुसार
7.	13.08.2026 (10:00 AM TO 1:30 PM)	NON-TSP CANDIDATE MERIT NO. 20653 TO 31901 (80 candidates)	वरियता अनुसार
8.	13.08.2026 (02:00 PM TO 5:30 PM)	NON-TSP CANDIDATE - MERIT NO. 31904 TO 56165 (46 candidates) TSP CANDIDATES FEMALE (एकल/विवाहित/अविवाहित महिला) - 811669, 40618, 45403, 47334, 60202, 61800, 239913, 266805, 266811, 271112, 275818 (11 candidates) TSP CANDIDATES MALE MERIT NO - 8758 TO 480819 (25 candidates) तथा उपरोक्त निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने वाले शेष अभ्यर्थी	वरियता अनुसार

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग के निर्देशानुसार अभियोजन विभाग में चयनित अभ्यर्थियों का Counseling का कार्य निम्नलिखित शर्तों के दिशा निर्देशानुसार सम्पन्न किया जावेगा:-

- कमेटी द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला (अविवाहित महिला), भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं पति-पत्नी में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में हो को वरियता क्रम से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग में बुलाया जावेगा।
- शेष अभ्यर्थियों को वरियता क्रम से काउंसलिंग में बुलाया जाकर रिक्ति के आधार पर प्रथम नियुक्ति जिले का आवंटन किया जावेगा।
- कमेटी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति-पत्नी पूर्व में से ही राज्य सेवा में जिस जिले में पदस्थापित है को उस जिले में रिक्त पद होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उसी जिले में पदस्थापन स्थान आवंटित किया जावेगा।
- कमेटी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो/अभ्यर्थी के माता-पिता अथवा पति-पत्नी असाध्य रोग से ग्रसित हो तो रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में नियुक्ति अधिकारी ऐसे तथ्यों की पुष्टि कर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर जिला आवंटन करने में प्राथमिकता दी जावेगी।
- Counseling के लिए उपस्थित होने पर अभ्यर्थियों की किसी भी प्रकार किराया व कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा निर्देशानुसार Counseling का कार्य नियमानुसार संपादित किया जावेगा। (परिपत्र संलग्न है।) उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार कमेटी द्वारा काउंसलिंग के दौरान यह ध्यान रखा जावेगा कि समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रथम नियुक्ति के समय जिला/जिले में स्थान में मिले अर्थात् किसी वर्ग विशेष के अभ्यर्थी किसी एक जिला/जिले में स्थान में असंगत रूप से आवंटित नहीं हो।
- कमेटी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी नियत की जा सकेंगी।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को Counseling हेतु उपस्थित नहीं होता है उनको जिला आवंटन करने में वरियता सबसे अंत में दी जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों में से निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग की निर्धारित तिथि में कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण अंकित करते हुए सूचना प्रस्तुत नहीं करने

पर अनुपस्थित अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से सम्बन्धी समस्त सूचनाएँ विभागीय वेबसाइट पर ही अपलोड की जावेगी। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट का अवलोकन किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र दिनांक 20.07.26 के अनुसार जिले की वरियता की सूचना हेतु निर्धारित प्रारूप एवं शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज एवं इनकी प्रमाणित प्रतियाँ Counseling के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग का परिपत्र दिनांक 18.05.2020 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आंशिक सूची।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(कमल कुमार शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
(अभि.) राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागीय कमेटी, अभियोजन निदेशालय राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-03) विभाग राज0 जयपुर।
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना गांधी नगर, जयपुर।
5. प्रबन्धक, राजकीय सामुदायिक केन्द्र, गांधीनगर, जयपुर।
6. संस्थापन/प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
7. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
(अभि.) राजस्थान जयपुर